पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी मुताबिक राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी खाता स. मे काश्तकार का नाम कन्हैयालाल उर्फ काना पुत्र रामकरण दर्ज है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो मे नाम कन्हैयालाल ब्र० रामकरण दर्ज है। काश्तकार का नाम राजस्व रिकार्ड मे कन्हैयालाल ब्र० रामकरण दर्ज किया जाना

भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व सल्गन दस्तावेज अनुसार शुद्धी किया जाना उचित है। (क)

रामकानपुरा

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू. अ. निरी. यथाप्रस्तावित।

शिविर प्रभारी
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
630

## प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर–2025"

क्रमांक / 347

दिनांकः– 10-10-25

### आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरूस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण मे ग्राम ..... .... .....तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्.... .... .. ..... के खाता संख्या ..... ..... .. .. .....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

| क्र स | पूर्व इन्द्राज का विवरण | | | स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातेदार का विवरण | खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का विवरण | खसरा नम्बर | रकबा |
| | प्रकरण में इन्द्राज [illegible] नहीं होने के कारण [illegible] जाता है। | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:14:39 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक:– 5515-16 दिनांक:– 10-10-25

प्रतिलिपि:– 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालनार्थ।
2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर